प्राइवेसी इन द ऐज ऑफ सनशाइन लॉ

लेखक - प्रशांत रेड्डी टी. और वैदेही मिश्रा (न्यायिक सुधारों पर कार्यरत सदस्य, विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था)

द हिन्दू

6 अप्रैल, 2019

"न्यायपालिका की निजता के अधिकार पर अंतिम निर्णय का असर अन्य श्रेणियों के लोगों पर पड़ सकता है।"

सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 के तहत आखिरकार एक महत्वपूर्ण अपील (ठंडे बसते में नौ साल रहने के बाद)पर सुनवाई की है। इस मामले में उठाए गए तीन महत्वपूर्ण सवालों में से एक यह है कि क्या न्यायाधीशों को धारा 8 (1) (जे) के प्रकाश में आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति का खुलासा करना आवश्यक है? यह प्रावधान उन व्यक्तिगत सूचनाओं को साझा करने पर रोक लगाता है, जिसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं है और जब तक कि बड़े सार्वजनिक हित इस तरह के प्रकटीकरण को सही नहीं ठहराते, तब तक निजता के अधिकार पर खतरा बना रहेगा।

मामले की सुनवाई करने वाले पांच न्यायाधीशों को एक मुश्किल विकल्प का सामना करना पड़ रहा है। निजता के मौलिक अधिकार के आधार पर सार्वजनिक रूप से संपत्ति का खुलासा नहीं करने का उनके द्वारा दावा किए जाने वाला कोई भी प्रयास आवश्यक रूप से PUCL (2003) और लोक प्रहरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) जैसे ऐतिहासिक फैसलों के विरुद्ध निर्णय देने के समान होगा, जिसमें अदालत की छोटी बेंचों ने राजनीतिक वर्ग के गोपनीयता के दावों को दरकिनार करते हुए उन्हें सार्वजनिक रूप से न केवल अपनी संपत्ति बल्कि अपनी आय के स्रोतों का भी खुलासा करने का आदेश दिया था।

संविधान पीठ का अंतिम फैसला लोकपाल अधिनियम, 2013 की विवादास्पद धारा 44 को भी प्रभावित करेगा, जिसमें सभी लोक सेवकों (इसमें न्यायाधीश शामिल हैं) को अपनी संपत्ति का खुलासा करना आवश्यक है, लेकिन अभी इस बात पर चुप हैं कि क्या खुलासा सक्षम अधिकारी या आम जनता के समक्ष होनी चाहिए। यह प्रावधान पहले से ही 2016 में संशोधन का विषय रहा है।

आरटीआई आवेदन के रूप में

इस मामले की उत्पत्ति 2007 में दायर एक आरटीआई आवेदन से हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) सुभाष अग्रवाल से पूछा गया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने 1997 में अपनाए गए प्रस्ताव की शर्तों का अनुपालन किया था, जिसमें सभी न्यायाधीशों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को उनकी संपत्ति और देनदारियों के बारे में जानकारी का खुलासा करने के लिए प्रतिबद्ध किया था। हांलाकि, इस संकल्प में विशेष रूप से यह अनिवार्य किया गया था कि ये सारी जानकारी 'गोपनीय' रहेगी। 2005 में, संसद ने आरटीआई अधिनियम पारित किया, जिससे सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा रखी गई जानकारी की मांग कानूनी अधिकार बन गया, जिसमें यकीनन मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है।

दिलचस्प बात यह है कि श्री अग्रवाल ने कभी भी न्यायाधीशों द्वारा सीजेआई के साथ दायर की गई घोषणाओं की प्रतियां नहीं मांगी। वह केवल इस बारे में सूचित करना चाहते थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा ऐसी कोई घोषणा दायर की गई थी। फिर भी पीआईओ ने अन्य धाराओं के बीच आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के तहत सूचना देने से इंकार कर दिया।

आरटीआई अधिनियम का यह प्रावधान सार्वजनिक प्राधिकरणों को नागरिकों की किसी भी 'व्यक्तिगत जानकारी' का खुलासा करने से रोकता है। अगर इस तरह के 'प्रकटीकरण का किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है।'

जब मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में पहुंचा, तो एकल न्यायाधीश और पूर्ण पीठ दोनों ने निष्कर्ष निकाला कि अन्य लोक सेवकों की तरह न्यायाधीशों को भी निजता का मौलिक अधिकार है यह अधिकार, तभी धारण किया जा सकता है, जब आरटीआई आवेदक ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) द्वारा अपेक्षित 'बड़े जनहित' का प्रदर्शन किया हो।

दूसरे शब्दों में, कर्मचारियों के एक वर्ग के रूप में लोक सेवकों को केवल अपनी सार्वजनिक संपत्ति का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे सार्वजनिक पद पर आसीन हैं। हालाँकि, अलग-अलग मामलों में, अगर इस तरह की

जानकारी मांगने वाला व्यक्ति सार्वजनिक अधिकारी की ओर से 'बड़े सार्वजनिक हित' जैसे कि गलत कार्य या अनौचित्य प्रदर्शित कर सकता है, तो जानकारी का खुलासा किया जा सकता है।

उसका परिणाम

इसकी संभावना है कि उच्चतम न्यायालय 2012 में गिरिश रामचंद्र देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयुक्त मामले में दिए गये अपने निर्णय के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय के तर्क का पालन करेगी। अदालत का सामना एक ऐसे मामले से हुआ, जहां एक आरटीआई आवेदक ने एक सेवारत नौकरशाह के सेवा रिकॉर्ड और संपत्तियों की जानकारी मांगी थी। एक बहुत ही संक्षिप्त फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नौकरशाह की संपत्ति आरटीआई अधिनियम के तहत एक आवेदक को तब तक प्रकट नहीं की जा सकती है जब तक कि एक बड़ा सार्वजनिक हित नहीं दिखाया गया हो। आवेदक बड़े जनहित को प्रदर्शित नहीं कर सका और सूचना से वंचित रह गया।

2012 के बाद से गोपनीयता के मोर्चे पर बहुत कुछ हुआ है। मुकदमेबाजी और आधार के खिलाफ नागरिक समाज अभियान ने सर्वोच्च न्यायालय के नौ न्यायाधीशों से एकमत से निर्णय लिया, जो सूचनात्मक गोपनीयता को निजता के मौलिक अधिकार के घटक के रूप में घोषित करते हैं। जब संवैधानिक पीठ श्री अग्रवाल की अपील पर फैसला करती है, तो यह अधिकतर आधार के फैसले के लेंस के माध्यम से आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) में निर्दिष्ट गोपनीयता अधिकार को देखेगा।

यदि बेंच यह निर्णय लेती है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को निजता का मौलिक अधिकार है (मामले की सुनवाई करने वाले पांच में से दो न्यायाधीशों ने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का खुलासा किया है) और न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति का खुलासा जनता के लिए करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, तो फिर से सवाल उठेंगे कि अदालत ने राजनेताओं को सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति और आय के स्रोतों का खुलासा करने के लिए क्यों मजबूर किया था। इसके बाद राजनेताओं और उनके जीवनसाथियों को पीयूसीएल और लोक प्रहरी के फैसलों को पलटने में कुछ समय लगेगा, जिससे चुनावी पारदर्शिता पर भी असर पड़ेगा।

GS World टीम...

सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) 2005

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत में सूचना के अधिकार के तहत प्रधान न्यायधीश के ऑफिस को भी लाने की मांग की जा रही है।
- हांलाकि, मुख्य न्यायाधीश के ऑफिस को आरटीआई के दायरे में लाने पर बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
- इसके अलावा, अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
- वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। कॉलेजियम के फैसले और सिफारिशों की जानकारी जैसी अन्य सूचनाएं सार्वजनिक करना जनहित में नहीं है।

प्रमुख प्रावधान

- 12 अक्तूबर, 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम अस्तित्व में आया।
- प्रत्येक लोक प्राधिकारी के लिये यह अनिवार्य किया गया है कि वह 30 दिन की निर्धारित समयावधि के भीतर सूचना उपलब्ध कराए। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो सूचना को 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- प्राप्त सूचना की विषयवस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आदि में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है।
- राष्ट्र की संप्रभुता, एकता-अखण्डता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएँ प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है।

- इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कैग और निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना के अधिकार के दायरे में लाया गया है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य स्तर पर इसी तर्ज पर एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा।

क्या व्यवस्था है सूचना का अधिकार अधिनियम में?

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना आयोग सूचना पाने संबंधी मामलों के लिये सबसे बड़ा और अंतिम विकल्प है।
- इस कानून के तहत सबसे पहले आवेदक सरकारी विभाग के लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन करता है।
- अगर 30 दिनों में जवाब नहीं मिलता है, तो आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपना आवेदन भेजता है।
- अगर यहाँ से भी 45 दिनों के भीतर जवाब नहीं मिलता है तो आवेदक केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में अपील करता है।
- इस कानून के तहत केंद्रीय सूचना आयोग द्वितीय अपील और शिकायतों पर सुनवाई करता है। उचित मामलों में केंद्रीय सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना भी लगाता है।
- यदि आयोग को लगता है कि किसी लोक सूचना अधिकारी ने याचिकाकर्त्ता को जान-बूझकर परेशान किया है, या जानकारी नहीं दी है तो CIC उस पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है।

केंद्रीय सूचना आयोग की प्रमुख शक्तियाँ और कार्य?

- केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18, 19, 20 और 25 में किया गया है।
- इनमें मुख्य रूप से सूचना आवेदन दाखिल करने में असमर्थता आदि तथ्यों पर आधारित शिकायतों को प्राप्त करना और उनकी जाँच करना; सूचना प्रदान करने के लिये पुनः अपील का न्याय-निर्णयन करना प्रमुख है।
- इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के रख-रखाव के लिये निर्देश, स्वप्रेरणा से प्रकटन, RTI दाखिल करने में असमर्थता पर शिकायतों की प्राप्ति और जाँच आदि भी इसके कार्यों में शामिल है।
- साथ ही आर्थिक दंड और अनुश्रवण तथा प्रतिवेदन आदि से जुड़ी शक्तियाँ भी आयोग में निहित हैं।
- आयोग के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, लेकिन इन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय-3 में केंद्रीय सूचना आयोग तथा अध्याय-4 में राज्य सूचना आयोगों के गठन का प्रावधान है।
- इस कानून की धारा-12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन, धारा-13 में सूचना आयुक्तों की पदावधि एवं सेवा शर्तें तथा धारा-14 में उन्हें पद से हटाने संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
- केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्तों का प्रावधान है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- ये नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति की अनुशंसा पर की जाती हैं, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री बतौर सदस्य होते हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 12 अक्टूबर, 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया।
2. सूचना के अधिकार अधिनियम में लोक प्राधिकारी के लिए 30 दिन की निर्धारित समयावधि के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements:-

1. RTI Act was implemented on 12th October, 2005.
2. There is a provision in RTI Act for public authority to provide the information within fixed 30 Day.

Which of the above statement is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) 1 and 2 Both (d) Neither 1, Nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: यदि न्यायपालिका सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपनी संपत्ति को जाँच के दायरे में लाने को 'निजता के अधिकार' का हनन मानकर निर्णय देती है, तो इससे क्या प्रभाव होगा? चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Q. If Judiciary gives the Judgement by Considering to bring its Property in the realm of investigation under the RTI Act as violation of privacy, then what will be its effect? Discuss. (250 Words)

नोट : 5 अप्रैल को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

GS World
Committed To Excellence